ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14, Vol.-I, No.-1, PP-105-108, YEAR 2014

उच्च शिक्षा में विकलांगों के लिये सुविधायें एवं अवसर

❑ डॉ0 रजनीश कुमार सिंह*
सर्वेश कुमार**

सार संक्षेप

विकलांग बालकों की आवश्यकतायें सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं। विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट सुविधाएं आवश्यक हैं। विकलांग बालकों को अग्रलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है– अस्थि विकलांग, दृष्टि विकलांग, मूकबधिर एवं मानसिक मंदता आदि।

इन सभी प्रकार के विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग–अलग प्रकार की सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जिसमें विकलांग बालकों को अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। विकलांग बालकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न शिक्षा आयोगों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं, लेकिन फिर देश में विकलांग बालकों की शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आलेख में विकलांग बालकों हेतु उच्च शिक्षा स्तर पर सुविधाओं एवं अवसरों की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

शिक्षा मानव जीवन की वह आधारशिला है। जिस पर व्यक्ति जीवन भर अपने आचार विचार एवं व्यवहार प्रकट करता है। विवेकानन्द जी ने लिखा है, । ष्मानव की सम्पूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अर्थात शिक्षा ही मानव की समस्याओं का निदान एवं नवीन प्रेरणा प्रदान करती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति में निहित जन्मजात गुणों का विकास करना तथा सत्य का ज्ञान एवं आदर्श समाज का निर्माण करना है। शिक्षा के अभाव में मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा मानव जीवन की उत्कृष्टता एवं उच्चता को सुनिश्चित करती है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, समाजिक एवं आद्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा का प्रायः तीन स्तारों विभाजित किया गया है–

1. प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. उच्च शिक्षा

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। उच्च शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रदान की जाती है। आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधार शिला सन् 1857 में रखी गयी थी। इस समय भारत में लगभग 350 से अधिक विश्वविद्यालय तथा मानित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयी स्तरीय संस्थायें हैं जिनसे लगभग 17000 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं।

शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थायें स्थापित की गयीं हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए विविध प्रकार की शिक्षण संस्थायें हैं। ये संस्थायें बालकों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करतीं हैं। अलग – अलग प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में अलग – अलग प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। शारीरिक क्षमता के आधार पर बालकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य बालक और विकलांग बालक।

विकलांग बालकों की आवश्यकतायें सामान्य बालकों से भिन्न होतीं हैं। विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। विकलांग बालकों भी निम्नवत् श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अस्थि विकलांग,

*शिक्षा संकाय, ज0रा0वि0 विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0
**शोधार्थी शिक्षा संकाय, ज0रा0वि0 विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0

दृष्टि विकलांग, मूकवधिर विकलांग एवं मानसिक मन्दता आदि।

इन सभी प्रकार के विकालांगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग – अलग प्रकार की सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता होती है। जिसमें विकलांग बालकों को अधिक से अधिक अवसर मिल सकें। एक ही प्रकार की सुविधाओं से सभी लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। विकलांग बालकों के शैक्षिक सुधार के लिए विभिन्न स्तारों पर सरकार द्वारा गठित आयोगों ने निम्नवत् सुझाव दिये हैं–

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 –53 ने विकलांग बालकों की आवश्यकताओं के अनुरुप बडी संख्या में विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। इस आयोग के सुझाव के अनुसार विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की गयी जिसमें उनकी सुविधाओं के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था की गयी थी। इसके लगभग 12 वर्ष बाद कोठारी शिक्षा आयोग 1964 –66 ने सुझाव दिया कि शैक्षिक समानता को दृष्टिगत रखते हुए विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाए तथा प्रादेशिक स्तर पर असुन्तलन को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजनायें बनायी जायें। इस आयोग में कहा गया है कि विकलांगों को राष्ट्रीय स्तर की योजनायें बनाकर शैक्षिक सुविधायें एवं अवसर प्रदान किये जायें। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने सुझाव दिया कि शारीरिक तथा मानसिक रुप से विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सुविधाओं का विकास करना चाहिए। अर्थात् विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए शैक्षिक दृष्टि से सुविधाओं से युक्त शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद भी विकलांगों के शैक्षिक स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 (ड्राफ्ट) ने भारत सरकार की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की कमियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि सभी विकलांग बालकों को शैक्षिक धारा में सम्मिलित करने के लिए शैक्षिक अवसर बढाने के प्रयास करने चाहिए। इसके तहत विविध प्रकार के शिक्षण संस्थानों में विशिष्ट शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी जिससे अधिक से अधिक विकलांगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सके। इन सभी आयोगों की सिफारिशों को लागू करने की कोशिशें की गयीं हैं। लेकिन बदलते समय के अनुसार आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ है इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इन आयोगों के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार एवं प्रादेशिक सरकारों ने विभिन्न प्रयास किये हैं। फिर भी विकलांगों की शैक्षिक स्थिति में कुछ अधिक परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है क्यों कि जनगणना सर्वेक्षण 2011 के आंकडों पर ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि विकलांगों की शैक्षिक स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है क्यों कि देशभर में 2 करोड 68 लाख व्यक्ति विकलांग हैं जिसमें 49 प्रतिशत ही साक्षर हैं और उच्च शिक्षा में केवल 4 प्रतिशत विकलांगों का ही नामांकन है। वहीं कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है।

विकलांग बालक शिक्षा से अभी भी बडी संख्या में वंचित हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के आंकडों के अनुसार केवल 45 प्रतिशत विकलांग साक्षर हैं। विश्व बैंक (2007) की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की तुलना में विकलांग बालकों की पढाई बीच में ही छोडने की संभावना 5 गुना अधिक होती है। कुछ वर्षों में सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत विशेष विद्यालयों को अनुदान देकर सराहनीय पहल की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एकीकृत विकलांग बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम के तहत विकलांग बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों से जोडने का प्रयास भी सराहनीय है। सभी विकलांग बच्चों की विद्यालयों में पढाई का अवसर देने पर जो दिया गया है। किसी भी बच्चे को दाखिला देने से इनकार न करने की जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनायी गयी है। इसका उद्देश्य यही था कि बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुकूल

वातावरण में शिक्षा पाने का अवसर दिया जाये। इनमें विशेष विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवोन्मेंषी शिक्षा तथा गृह आधारित शिक्षा भी सम्मिलित है।

भारत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। परन्तु उनकी शिक्षा को लेकर जो भिन्नता अपेक्षित है उसको समझने और उसके अनुसार कदम उठाने जैसे मूलभूत मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। क्योंकि भारत में विकलांगता और निर्धनता के बीच जो गहरा रिश्ता है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। विकलांग बालकों की शिक्षा में व्याप्त जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करने की अधिक आवश्यकता है। जैसे – शिक्षक की उपस्थिति, बुनियादी कौशल, स्वच्छ वातावरण का अभाव एवं प्रतिस्पर्धी मागों के बीच औपनिवेशिक धरोहर का बोझ अधिक महत्व रखता है। लम्बे समय से शैक्षिक अनुभवों, अपने भविष्य का मार्ग तय करने के बारे में विकलांगों की आवाज को दबाने का प्रयास होता रहा है। वास्तव में विकलांगों को पर्याप्त शैक्षिक अवसर दिये जाने चाहिए। विकलांगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र नियोजित ढंग से पहल की है। इसके लिए विशेष योजनायें एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है। जो निम्नवत हैं–

1. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
2. विकलांगजन अधिनियम कार्यान्वयन योजना
3. नेशनल फंड/ट्रस्ट फंड के अन्तर्गत विकलांग छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
4. *The person with disabilities Act 1995*
5. 2006 की विकलांग राष्ट्रीय नीति
6. विकलांग विधेयक 2012

उच्च शिक्षण संस्थायें :

1. जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उ0प्र0यह विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है जिसमें शत् प्रतिशत विकलांगों को प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रकार के विकलांगों के लिए अलग – अलग प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हैं।
2. राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली इसकी स्थापना 1986 में हुई और कार्य जुलाई 1993 में प्रारम्भ हुआ इस संस्थान का मुख्य कार्य विशेष शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा की उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करना।
3. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ उ0प्र0 यह विश्वविद्यालय उ0प्र0 सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें 50 प्रतिशत स्थान विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इसमें डिग्री और डिप्लोमा से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
4. राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान चेन्नई यह संस्थान विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है। और विकलांगों के उत्थान में कार्यरत है।
5. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कटक, उडीसा इस संस्थान की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गयी है। यह संस्थान विकलांगों को विभिन्न पाठ्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करता है।
6. *National Institute for the visually handicapped, Deharadun* यह संस्थान दृष्टिवाधित विकलांगों के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराता है। यहां दृष्टिवाधित विकलांगों के लिए ब्रेल भाषा में पुस्तकें प्रकाशित होतीं हैं।
7. *National Institute for the orthopedically handicapped, Kolkata* यह संस्थान अस्थि विकलांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है।

8. *Ali yavar jung national Institute for the hearing handicapped, Mumai* यह संस्थान श्रवण वाधित छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का संचालन करता है।

9. *National Institute for the mentally handicapped, Secunderabad* यह संस्थान मानसिक मन्दित छात्रों को प्रशिक्षित करता है एवं उनके लिए उपयोगी पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

10. *Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the physically handicapped, Delhi* यह संस्थान शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

विकलांगों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं एवं अधिनियमों पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा विकलांगों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं लेकिन परिणाम कुछ अधिक सार्थक प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि आज देश में विकलांगों की उच्च शिक्षा में स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। वर्तमान समय में विकलांगों को उच्च शिक्षण संस्थानों में अनेक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। जैसे विशिष्ट शिक्षकों का अभाव, अनुपयोगी शिक्षण सामग्री उपयुक्त कक्षा कक्ष एवं उनके अनुकूल विद्यालयी वातावरण आदि। इन्हीं समस्याओं के कारण विकलांगों की उच्च शिक्षा में पकड अधिक मजबूत नहीं है। जनगणना सर्वेक्षण 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 74.04 प्रतिशत है। वहीं विकलांगों की साक्षरता 49 प्रतिशत है। और जनगणना सर्वेक्षण 2001 के अनुसार कुल साक्षरता 64 प्रतिशत थी। एवं विकलांगों की साक्षरता 45 प्रतिशत थी। अतः कुल साक्षरता में 2001 से 2011 तक 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वहीं विकलांगों की साक्षरता में केवल 4 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष: विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशों एवं सुझावों, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त विकलांगों से संम्बन्धित अधिनियमों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा विकलांगों के लिए शैक्षिक सुविधायें एवं अवसर प्रदान किये गये हैं लेकिन इनका परिणाम आशा के अनुरुप प्राप्त नहीं हुआ है। सरकारी प्रयास से योजनायें एवं सुविधायें प्रदान की जाती हैं लेकिन इनका वास्तविक लाभ लेने से विकलांग छात्र वंचित रहते हैं। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि विकलांग छात्रों को विभिन्न स्तारों पर जागरुक करें। और सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करायें। योजनाओं और सुविधाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाये जिससे विकलांक बालक अधिक लाभान्वित हो सकें और विकलांग छात्रों को उच्च स्तर पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

- डा0 शर्मा, आर0ए0 (2012) विशिष्ट शिक्षा का प्रारुप, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
- डा0 भार्गव, महेश (2009) विशिष्ट बालक (शिक्षा एवं पुनर्वास) एच0पी0 भार्गव बुक हाउस, आगरा।
- डा0 गुप्ता, एस0पी0, गुप्ता, अलका – भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद।
- डा0 अग्निहोत्री, रविन्द्र – भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्या, रिसर्च पब्लिकेशन्स दिल्ली।
- शर्मा, आर0ए0 (2000) शिक्षा मनोविज्ञान, आर0 लाल बुक डिपो मेरठ।
- योजना पत्रिका – अप्रैल (2013) नई दिल्ली।